न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन सं. 03/2018 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

अनवानः–

प्रार्थीगण

1. चेनाराम पुत्र धर्माराम
2. सुखदेव पुत्र धर्माराम
3. भंवरलाल पुत्र धर्माराम
4. दलपतराज पुत्र धर्माराम
5. पिन्टाराम पुत्र बाबूलाल
6. महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल
7. केसाराम पुत्र गुमानाराम
8. पूराराम पुत्र गुमानाराम जातियान कुम्हार निवासी साचोंर

विप्रार्थीगण

1 सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर
2. शाखा प्रबंन्धक एसबीबीजे साचोंर

वकील प्रार्थीः– श्री मुकेश पुरोहित

निर्णय

दिनांक 28.01.2020

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत पेश किया कि सरहद मौजा डूगरा का गोलिया पटवार हल्का साचोंर तहसील साचोंर हम प्रार्थीगण का सयुंक्त खातेदारी का पुश्तैनी खाता संख्या 46 खसरा संख्या 204 रकबा 0.95 है. किस्म गैर मुमकीन आया हुआ है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 151 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा है। तथा हम खातेदार माफीक खातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त है नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है उक्त हमारी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी सवंत 2033 से 2036 में बारानी किस्म दर्ज है। तथा पुराने सेटलमेन्ट नक्शे में रास्ता दर्ज नही था जो उक्त पुराने खसरा नम्बर 151 वर्तमान खाता संख्या 46 खसरा नम्बर 402 रकबा 0.95 हैक्टर को मोके पर हम खातेदारान का कब्जा काश्त होते हुए राज्य सरकार ने हमारी खातेदारी भूमि को नियम विरूद्व तरीके से राजस्व रेकार्ड में गेर मुमकीन दर्ज कर नक्शें में रास्ता दर्शित कर दिया है।

28.1.2020

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

जबकि उक्त भूमि हमारी खातेदारी की कृषि भूमि है नकल पुरानी जमाबन्दी संवत 2030 से 2036 व मिलान क्षेत्रफल तथा पुराने सेटलमेन्ट नक्शे व वर्तमान नक्शें की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे शुद्वि किया जाना न्यायसंगत है।
इस कारण यह दुरस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान जी की सेवा में पेश है चुकिः मोके पर हमारे द्वारा काश्त की जा रही है पुराने सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 151 में सडक दर्शित नही थी नक्शे की नकल वादपत्र के साथ पेश है तथा वर्तमान में मोके पर भी उक्त खसरे में कहीं पर भी सडक या कटान मार्ग दर्ज नही है। परन्तु राजस्व रेकार्ड नक्शें में सम्पुर्ण रकबा 0.95 हैक्टर को रास्ता दर्शित कर दिया है हम उक्त खेत हमारी पुश्तेनी खातेदारी का है तथा वर्तमान में हम भूमि पर काश्त कर रहे है। जिसकी गिरदावरी भी हो रही है। हमने पुर्व में भी तहसीलदार साचोंर को रेकार्ड दुरस्ती कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु श्रीमान ने गिरदावरी के हिसाब से हमारी भूमि की सही किस्म राजस्व रेकार्ड में दुरस्त करने बाबत कोई आदेश जारी नही किया । भूमि पर हमारे द्वारा काश्त किये जाने बाबत वर्तमान गिरदावरी की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है। ऐसी सुरतें में रेकार्ड में गलत किस्म का शुद्वि किया जाना न्याय संगत है।

अतः महोदय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद डुगरा का गोलिया पटवार हल्का साचोंर में हम प्रार्थीगण का खातेदार का पुश्तैनी खेत खसरा संख्या 46 खसरा नम्बर 402 रकबा 0.95 हैक्टर कि किस्म लिपीकीय भुल से गेर मुमकीन दर्ज कर नक्शें में दर्शाया है। उसे वर्तमान किस्म अनुसार दर्ज कर राजस्व नक्शे को दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावे

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित पेरा संख्या 2 सही है। गत भूप्रबन्धक में नक्शें में रास्ता नहीं था वर्तमान में मोके पर रास्ता नहीं होने से यदि किस्म गेर मुमकीन से बारानी सोयम की जाती है तो राज पेरोकार कोई आपत्ति नही है।

एक पक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एंव दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 एंव नक्शा किश्तवार से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 204 का साविक खसरा नम्बर 151 गेर मुमकीन नही बल्कि बारानी तृतीय दर्ज था खसरा नम्बर 402 साविक खसरा संख्या 151 के भिन नम्बर एंव अन्य खसरे से मिलकर बना है सवत 2034 व संवत 2038 की खंसरा गिरदावरी से भी स्पष्ट है कि साविक नम्बर 151 धर्माराम पुत्र गुमाना कोम कुम्हार साकीन देह खातेदारी की आराजी रही है प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से यह स्पष्ट है कि हाल खसरा संख्या 402 गत खसरा संख्या 151 व अन्य किसी खसरे से मिलकर बना है। जमाबन्दी सवंत 2069–2072 के अनुसार खसरा नम्बर 402 चेनाराम,सुखदेव , भवरंलाल ,दलपतराज, बाबूलाल पिसरान धर्माराम कुम्हार का हिस्सा 45 एयर केसाराम पुराराम पिसरान गुमानाराम कुम्हार का हिस्सा 50 एयर कुल 95 एयर के खातेदार काश्तकार है तथा जिम्मन नम्बर 7 भूमि के वर्गीकरण में गेर मुमकीन दर्ज है जवाब तहसीलदार के अनुसार गत भू प्रबन्ध में नक्शें मे रास्ता दर्ज नही था वर्तमान में भी मौके पर कोई रास्ता नहीं है।

28.1.2020

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

यदि किस्म गेर मुमकीन से बारानी सोयम की जाती है तो राज पेरोकार सरकार कोई आपत्ति नही है। हाल नक्शे के अवलोकन से खसरा नम्बर 402 प्रथम दृष्टया रास्ते जैसा प्रतीत होता है परन्तु जमाबन्दी में उक्त खसरा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी दर्ज है। परन्तु भूमि की किस्म गेर मुमकीन दर्ज है।

बन्दोबस्त विभाग को वक्त बन्दोबस्त भूमि की किस्म परीवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में पूरी तरह चस्पा होती है कि **"during settlement operations entries in the record should not be changed unless it is done through prescribed process of law revision no 104/91 rt kota board of revenue for rajsthan ajmer"**

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है इसलिए प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है और खाता संख्या 46 खसरा संख्या 402 के जिम्मन नम्बर 7 में भूमि के वर्गीकरण में भूमि का प्रकार में गेर मुमकीन की जगह बारानी सोयम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है चुकिः खसरा नम्बर 402 एक पृथक खसरा है अतः नक्शें में दुरस्ती की कोई आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर सत्यमेव जयते

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

28.01.2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.01.30 15:39:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: